न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 151/2017

उनवानी प्रकरण :–

रतीराम पुत्र चरनी जाति जाटव निवासी गडरपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 97/17 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रतीराम अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 13.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2072 में खसरा नम्बर 906 रकबा 35 बीघा 14 विस्वा में से 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर अतिचार किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना 225 रूपये का जुर्माना व 1 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत एंव काबिज खारिजी है। अपीलान्ट के पास कोई सम्मन नही पहुंचा हैं नाही अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया। अपीलान्ट समाज में इज्जतदार व्यक्ति है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पुलिस थाना कंचनपुर के सिपाही से दिनांक 07.11.2017 को हुई। अपील जानकारी दिनांक से बिना देरी पेश है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 906 की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिचार नही किया ना ही सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने का इच्छुक है ना ही भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.2.2017 निरस्त किया जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13.02.17, रिर्पोट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही हुई नाही अपीलान्ट को साक्ष्य एंव जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट ने पैनल्टी राशि जमा करा दी है तथा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के पुत्र के हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर जारी नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किया है जिसकी पुष्टि फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से होती है जिस पर अपीलान्ट स्वंय ने बोली लगाकर फसल ली है, मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट के पुत्र पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के पुत्र के हस्ताक्षर है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।
4. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((शुचि त्यागी))
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर
धौलपुर